189
24-11-11

संख्याः 2809/VII-II-11/50–ख/2006

प्रषक,

किशन नाथ,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, ,
उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

औद्योगिक विकास अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 24 नवम्बर, 2011

विषयः वित्तीय वर्ष 2011–12 में खनन प्रशासन के अधिष्ठान व्यय हेतु प्रथम अनुपूरक मांग द्वारा प्राविधानित धनराशि स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः209/XXVII(1)/2011 दिनांकः 31 मार्च, 2011 तथा शासनादेश संख्याः938/VII-II-11/50–ख/2006 दिनांक 21 अप्रैल, 2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2011–12 में **खनन प्रशासन के अधिष्ठान व्यय हेतु प्रथम अनुपूरक मॉग द्वारा आयोजनेत्तर पक्ष अन्तर्गत बचनबद्ध मदों की समस्त धनराशि तथा अवचनबद्ध मदों में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष स्वीकृत धनराशि 1/4 अंश के अतिरिक्त द्वितीय किश्त के रूप में कुल ₹ 8190 हजार (₹ इक्यासी लाख नब्बे हजार मात्र)** की धनराशि निम्न विवरणानुसार/प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

03–खनन प्रशासन का अधिष्ठान :–

कोड/मद का नाम	स्वीकृत की जा रही धनराशि (₹हजार में)
01–वेतन	7050
06–अन्य भत्ते	900
16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	240
योग–	**8190**
	₹ इक्यासी लाख नब्बे हजार मात्र।

2– वितरण अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का मासिक व्यय विवरण बी0एम0–8 के प्रपत्र पर रखा जायेगा, और पूर्व के माह का व्यय विवरण उक्त अधिकारी द्वारा अनुवर्ती माह की 5 तारीख तक उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी को बजट मैनुअल के अध्याय–13 के प्रस्तर–116 की व्यवस्थानुसार प्रेषित किया जायेगा और प्रस्तर–128 की व्यवस्थानुसार उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी द्वारा पूर्ववर्ती माह का संगत व्यय विवरण अनुवर्ती माह की 25 तारीख तक वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा तथा नियमित रूप से सरकार/शासन को उक्त विवरण प्रेषित नहीं किया जाता है तो उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु सक्षम स्तर को अवगत कराया जायेगा। प्रशासनिक विभाग प्रस्तर–130 के अधीन उक्त आवंटित धनराशि के व्यय का नियंत्रण करेगे।

3– उक्त धनराशि बचनबद्ध मदों में पूर्ण तथा अवचनबद्ध मदों में बजट प्राविधान के 1/4 अंश की धनराशि स्वीकृत की जा रही है। अवचनबद्ध मदों में अवशेष धनराशि स्वीकृति हेतु औचित्य सहित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जाय, ताकि वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करते हुए उक्त मदों में अवशेष धनराशि अवमुक्त की जा सके।

4– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 209/XXVII(1)/2011 दिनांकः 31 मार्च, 2011 में इंगित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा।

5– स्वीकृत धनराशि का दिनांक 31 मार्च 2012 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा। यदि उक्त तिथि तक कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उस धनराशि को उक्त तिथि तक शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

6– व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। इस संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेशों/अन्य आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। व्यय मात्र उन्हीं मदों में किया जाय, जिन मदों में धनराशि स्वीकृत की जा रही है। यह आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने में बजट मैनुअल/वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों का उल्लंघन होता हो। धनराशि व्यय के उपरान्त व्यय की गई धनराशि का मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रपत्र पर नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

7– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के अनुदान संख्या–23 के मुख्य लेखा शीर्षक–2853–अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग, 02–खानों का विनियमन तथा विकास, 00–आयोजनेत्तर, 001–निदेशन तथा प्रशासन (लघु शीर्षक 003 के स्थान पर) 03–खनन प्रशासन का अधिष्ठान मद अन्तर्गत प्रस्तर–1 में उल्लिखित प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

8– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या:209/XXVII(1)/2011 दिनांक 31 मार्च, 2011 में इंगित निर्देशानुसार निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(किशन नाथ)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: 2808 (1)/VII-II-11/50–ख/2006 तद् दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओवराय विल्डिंग माजरा, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून उत्तराखण्ड।
5. अपर सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(किशन नाथ)
अपर सचिव।